न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/224

1. प्रभूलाल
2. बाबूलाल
3. दीनानाथ पिसरान रामकिशन जाति मीणा निवासीगण तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी।
4. सर्वेश आयु 13 वर्ष
5. आयुष आयु 11 वर्ष
6. रीना बेवा बृजगोपाल पिसरान बृजगोपाल नाबालिगान जरिये संरक्षक एवं हितेषी माता रीना बेवा बृजगोपाल मीणा निवासीगण तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. गुलाब बाई बेवा रामनारायण जाति मीणा निवीस ग्राम तीरथ ।
2. चुकिबाई पुत्री रामनारायण पत्नी भंवर लाल मीना निवासी रूपनगर तहसील व जिला बून्दी।
3. मनफूला बाई पुत्री रामनारायण पत्नी चन्द्र कैलाश जाति मीणा निवासी चन्द्रेसल खेडली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. रामभरोसी बाई पुत्री रामनारायण पत्नी सत्यनारायण जाति मीणा निवासी चन्द्रेसल खेडली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. छोटूलाल
6. मथुरा लाल
7. रामदेवा
8. मडिया
9. जोधराज
10. प्रकाश पिसरान केसरी लाल जाति मीणा निवासीगण तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी पिसरान बजरंग लाल जाति मीणा निवासीगण तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
11. रामप्यारी पुत्री बजरंग लाल पत्नी किशन गोपाल जाति मीणा निवासी पूनम कॉलोनी कोटा।
12. मूर्ति पुत्री बजरंग लाल पत्नी हंसराज जाति मीणा निवासी सावर तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
13. औंकारी बाई बेवा बजरंग लाल जाति मीणा निवासी तीरथ ।
14. अर्जुन
15. हिम्मत पिसरान छीतर मीणा निवासीगण तीरथ ।
16. सोहनी बाई बेवा छीतर मीणा निवासी तीरथ ।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री धीरेन्द्र चौधरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
3. श्री महावीर प्रसाद, बैरवा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 24.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी में कुल 11 किता की 47 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । खसरा नम्बर 391 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2188 रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा कुल 02 किता की रकबा 09 बीघा भूमि ग्राम तीरथ में स्थित है । खसरा नम्बर 1894 रकबा 18 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1907/2 रकबा 06 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 24 बीघा 07 बिस्वा भूमि वाके ग्राम तीरथ तहसील तालेडा में स्थित है । खसरा 1893 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 2021/2 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम तीरथ तहसील तालेडा में स्थित है । खसरा नम्बर 1176 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 1190 रकबा 0.04 हैक्टर कुल 0.17 हैक्टर ग्राम गामछ में स्थित है । उक्त भूमि हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है जिसमें वादी अपने हिस्से 1/5 पर काबिज काश्त हैं । वादग्रस्त आराजी के बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद गुलाब बाई प्रतिवादी कम 1 ने पेश किया था जो प्रारम्भिक डिक्री किया गया था तथा एकपक्षीय अंतिम डिक्री दिनांक 28.07.2009 को पारित की गई थी जिसकी अपील वादीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में पेश की गई थी जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 21.03.2012 के द्वारा अंतिम डिक्री को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण प्राथमिक डिक्री के अनुसार अंतिम डिक्री पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में उक्त पत्रावली दिनांक 11.09.2015 को अदम हाजरी एंव अदम पैरवी में खारिज हो गई । पूर्व में पारित अंतिम डिक्री की पालना में किये गये इन्द्राजात को राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये बिना उक्त आराजी को प्रतिवादीगण बेचान करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादीगण का हिस्सा 1/5 प्रतिवादी कम 1 से 4 का हिस्सा 1/5 प्रतिवादी कम 05 का 1/5 प्रतिवादी कम 06 का 1/5 में उनके हिस्से की खसरा नम्बर 1893 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा जिस पर वह काबिज काश्त है को जोडकर एवं प्रतिवादीगण कम 7 से 16 का हिस्सा 1/5 में उनके हिस्से एवं कब्जे की खसरा नम्बर 416 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा को जोडकर पृथक –पृथक की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी के किसी भी

भू–भाग को बिना विधिवत विभाजन करवाये किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करे अथवा रहन, बेचान नहीं करें ।

4. प्रतिवादी कम 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 1 व 2 एवं अन्तर्गत धारा 11 एवं 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त संदर्भ में एक वाद प्रार्थिया गुलाब बाई द्वारा उपखण्ड अधिकारी बून्दी के समक्ष पेश किया गया था जिसमें प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पारित कर दी गई थी । अंतिम डिक्री के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील पेश की गई जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अंतिम डिक्री निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया था । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी उपस्थित नहीं हुए थे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी का पूर्व में विधिवत विभाजन हो चुका है । अब वादी ने पुनः विभाजन का मुकदमा पेश किया है जो धारा 11 सीपीसी के तहत वर्जित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.03.2017 के द्वारा प्रतिवादी कम 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 1 व 2 एवं धारा 11 व 151 सीपीसी का स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.03.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि मूल वाद गुलाब बाई बनाम रामकिशन खारिज होने के कारण उन्हीं पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि का बंटवारा होना आवश्यक है किन्तु पूर्व में पारित अंतिम डिक्री की पालना में किये गये इन्द्राजात को अभी राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त नहीं किया है । इसी का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी कम 7, 8, 9, 10,11,12,13,14, 15, 16 खसरा नम्बर 3833/2138 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा भूमि को विक्रय करने पर आमादा हैं । वादीगण अपीलान्ट को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाकर अपना हिस्सा 1/5 पृथक करवाये । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था और यह कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है जिस पर पारिवारिक समझौते के अनुसार पक्षकारान अपने – अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं । एक दावा गुलाब बाई ने विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जो प्रारम्भिक डिक्री किया गया था, अंतिम डिक्री दिनांक 28.07.2009 को पारित की गई जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में पेश की गई । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 21.03.2012 के द्वारा अंतिम

डिक्री निरस्त कर दी और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया कया । पत्रावली उपखण्ड अधिकारी तालेडा में स्थानान्तरित की गई । इसके उपरान्त अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई । मूल दावा गुलाब बाई बनाम रामकिशन खारिज हो जाने से पक्षकारों के मध्य भूमि का बंटवारा होना आवश्यक था । पूर्व में पारित अंतिम डिक्री की पालना में किये गये इन्द्राज को दुरूस्त नहीं किया गया है । इसी का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 3833/2138 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा भूमि को विक्रय करने पर आमादा हैं । वादीगण अपीलान्ट को अधिकार प्राप्त है कि वह अपना हिस्सा पृथक दर्ज करवाए । उक्त वाद में तलबी के बाद रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 ने अन्तर्गत आदेश 07 नियम 1 व 2 एवं धारा 11 व 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया और कथन किया कि उक्त वाद पूर्व में फैसल हो चुका है इस कारण अब प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है अतः वाद खारिज किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से दावा वादी खारिज किया है । प्रतिवादी रेस्पोडेन्टगण को जवाबदावा पेश करना चाहिए था जिसके आधार पर तनकी कायम किया जाना आवश्यक था । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने पूर्व में पारित अंतिम डिक्री को खारिज किया है ऐसी स्थिति में आराजी का विभाजन होना आवश्यक है । तनकी बनने के उपरान्त ही तय किया जा सकता है कि वर्तमान दावा रेसजूडीकेटा से बाधित है अथवा नहीं । पूर्व का दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हुआ है । अतः नया दावा रेसजूडीकेटा से बाधित नहीं है । दावा रेसजूडीकेटा से बाधित है अथवा नहीं यह **Mixed Question of facts and law** है जिसको तनकी बनाकर ही तय किया जा सकता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआडी 1996 पेज 107, आरआरडी 1996 पेज 306, आरआरडी 2010 पेज 08 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि गुलाब बाई के द्वारा एक दावा उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के न्यायालय में पेश किया गया था जो दिनांक 03.06.2009 को प्रारम्भिक डिक्री किया गया था और दिनांक 28.07.2009 को अंतिम डिक्री पारित की गई । पक्षकारों के मध्य आराजी का विभाजन किया गया है । इसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष पारी बाई एवं गुलाब बाई के नाम से पेश हुई । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने पक्षकारों को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करने हेतु अंतिम डिक्री निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया । प्रभूलाल ने कोई आपत्ति पेश नहीं की । दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया । प्रारम्भिक डिक्री पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव इस निर्णय का नहीं पडता है। दिनांक 03.06.2009 की डिक्री की अनुपालना में जो बंटवारा हुआ है वह विधि सम्मत है, नया दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा *पारित निर्णय दिनांक 30.03.2017 बहाल रखा जावे ।*

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण ने एक दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाा का पेश किया है । उक्त वाद में प्रतिवादी कम 1 से 4 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 1 व 2 एवं धारा 11 व 151 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि पूर्व में निर्णय हो चुका है इस आधार पर वादीगण का वाद खारिज किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दावा वादीगण रेसजूडीकेटा से बाधित मानते हुए

खारिज कर दिया । पूर्व में जो दावा पेश किया गया था उसकी अपील पेश होने पर इस न्यायालय के द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की अपील खारिज की गई और अंतिम डिक्री की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया । प्रकरण रिमाण्ड होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया और अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार वादी एवं उनके वकील अनुपस्थित रहने से दावा वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है । पूर्व का दावा अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज हुआ है इस कारण यह निर्णय नये दावे पर रेसजूडीकेटा का असर नहीं रखेगा । वैसे भी पूर्व में पारित निर्णय के आधार पर उनका वर्तमान दावा धारा 11 सीपीसी के तहत रेसजूडीकेटा से बाधित है अथवा नहीं इसका निर्धारण जवाबदावा प्राप्त करने के उपरान्त तनकी कायम करके ही किया जा सकता है न कि प्रार्थना पत्र के आधार पर । आरआरडी 1996 पेज 107 एवं आरआरडी 1996 पेज 306 यहॉ चस्पा होती हैं । वैसे भी किसी दावे को प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज करते समय सिर्फ दावे में अंकित तथ्यों को ही पढा जा सकता है । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को नहीं देखा जा सकता ।

11. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 1व 2 व धारा 11 व 151 सीपीसी स्वीकार कर दावा वादीगण खारिज करने में विधिक त्रुटि की है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.03.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 24.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा